RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : सोमवार 23 सितंबर 2024 | वर्ष 06 | अंक 155 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी ®
खबरें बे-रोकटोक

घोड़बंदर रोड को लेकर ठाणे मनपा का बड़ा फैसला...

Page - 4

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

महाराष्ट्र में चाचा-भतीजे के बीच होगी चुनावी जंग !

आदित्य के खिलाफ मैदान में उतरे राज ठाकरे

मुंबई: दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 'महाविकास आघाड़ी' (MVA) में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करके अपने ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जिताने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन उनके विधायक पुत्र आदित्य ठाकरे को जीतने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि वर्ली विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आदित्य के खिलाफ मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मैदान में उतर गए हैं। इससे ऐसी अटकलें लगने लगी हैं कि वर्ली विधानसभा क्षेत्र में ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई देखने को मिल सकती है।

आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में राज ठाकरे नए जोश के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। शनिवार को उन्होंने इसकी शुरूआत वर्ली विधानसभा क्षेत्र से की। राज ने वर्ली के जांबोरी मैदान पर वर्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का खाका यानी 'वर्ली विजन' पेश किया। उनके एमएनएस वर्ली विजन को आदित्य के वर्ली ए+ कॉन्सेप्ट को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके वर्ली विजन को शिवसेना (शिंदे गुट) और बीजेपी का समर्थन मिल गया है। आदित्य के चुनाव क्षेत्र में राज की एंट्री से उद्धव की शिवसेना बनाम राज की मनसे के बीच जोरदार लड़ाई देखने को मिल सकती है।

डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्या कहा कि भावुक हो गईं नवनीत राणा, बोलीं- "ये खुशी के आंसू हैं"

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के अमरावती जिले के नंदगांवपेठ में स्थापित होने वाले 'पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क' का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर को वर्धा से वर्चुअल भूमिपूजन किया. इस दौरान अमरावती में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व सांसद नवनीत राणा की कड़ी मेहनत की खूब सराहना की. देवेंद्र फडणवीस से अपनी तारीफ सुनकर नवनीत राणा के आंसू छलक गए.

अमरावती में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी सांसद अनिल बोंडे, पूर्व सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा समेत अन्य नेता और सरकारी अधिकारी शामिल हुए. इस कार्यक्रम में नवनीत राणा तब भावुक हो गईं, जब देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नवनीत राणा ने सांसद के रूप में अमरावती टेक्सटाइल पार्क को आगे बढ़ाया है. इस दौरान अनिल बोंडे ने भी पूर्व सांसद की तारीफ की. ऐसे में अपनी तारीफ सुनकर नवनीत राणा भावुक हो गईं और कहा, ''ये खुशी के आंसू हैं''.

ठाणे: पति-पत्नी की फांसी लगाकर आत्महत्या!

ठाणे: यहां के नदगांव इलाके में पति-पत्नी के फांसी लगाकर जान देने की घटना सामने आई है. मामला शाहपुर थाने में दर्ज किया गया है. पुलिस ने प्रारंभिक अनुमान जताया है कि उसने बच्चा नहीं होने के कारण अवसाद में आकर आत्महत्या की है. आत्महत्या करने वाले दोनों पीड़ितों की पहचान हरेश भोके (28) और नीलम भोके (25) के रूप में की गई है। वह नदगांव के बेलपाड़ा इलाके में रहता था. उनकी शादी आठ साल पहले हुई थी। गुरुवार को उसका शव घर में फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी शाहपुर पुलिस को मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. संतान न होने के कारण वह अवसादग्रस्त था। इसलिए पुलिस अनुमान लगा रही है कि उसने आत्महत्या की होगी.

डोंबिवली में मंत्री रवींद्र चव्हाण के जन्मदिन का मजाक उड़ाते हुए होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज

डोंबिवली : डोंबिवली विधायक और लोक निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण के जन्मदिन के अवसर पर, गुरुवार आधी रात को कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा डोंबिवली शहर के विभिन्न हिस्सों में उन्हें बदनाम करने और सामाजिक कलह पैदा करने वाले पोस्टर लगाए गए। गुरुवार आधी रात को घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शहर पहुंचे. पुलिस ने ये बोर्ड छापने वाले उल्हासनगर के जॉली प्रिंटर्स के मालिक को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ विष्णुनगर पुलिस स्टेशन में एक बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. चूंकि लोक निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण का जन्मदिन था, इसलिए भाजपा के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डोंबिवली में अपने शुभकामना बोर्ड लगाए थे। रंगशाला पब्लिसिटी के निदेशक और भाजपा कार्यकर्ता विनय पालव ने भी शहर की मुख्य सड़कों, मेहराबों और चौराहों पर ग्रीटिंग बोर्ड लगाए। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंत्री चव्हाण को हतोत्साहित करने के लिए गुरुवार आधी रात को जल्दबाजी में '20 सितंबर, हैप्पी खड्डे-डोंबिवलीकर' लिखी तख्तियां लगाकर मंत्री चव्हाण और डोंबिवलीकर सामाजिक संगठन को बदनाम करने की कोशिश की। इसकी जानकारी जैसे ही निदेशक विनय पालव समेत भाजपा कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने कड़ी नाराजगी जतायी. इन होर्डिंग्स को लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. पुलिस उपायुक्त सचिन गुंजल अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ डोंबिवली पहुंचे क्योंकि इन होर्डिंग्स ने सामाजिक विवाद पैदा किया और मंत्री रवींद्र चव्हाण को बदनाम किया। रंगशाला पब्लिसिटी के कर्मचारी अजय दावरे ने देखा कि ये बोर्ड उल्हासनगर में जॉली प्रिंटर्स के कर्मचारियों द्वारा लगाए गए थे। पलाव, डावरे ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. तुरंत विष्णुनगर पुलिस की एक टीम उल्हासनगर गई. जॉली प्रिंटर्स के मालिक को रात में डोंबिवली लाया गया. तब तक थिएटर निर्देशक पलव और कार्यकर्ताओं ने शहर में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगाये गये अपमानजनक तख्तियां हटा दीं. जॉली प्रिंटर्स के ड्राइवर पुलिस को यह जानकारी देने से कतरा रहे थे कि उन्होंने किसके आदेश पर बोर्ड छापे थे।

नवी मुंबई: अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई...!

2 हजार 516 बोर्ड हटाए गए

नवी मुंबई: अनगिनत होर्डिंग्स से शहर बदरंग हो रहा है। गणेशोत्सव के दौरान पूरे शहर में जगह-जगह होर्डिंग लगे हुए थे. अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के बाद ही नगर पालिका ने कार्रवाई की और दो दिन में 2500 से ज्यादा होर्डिंग नगर पालिका ने हटा दिए हैं. गणेशोत्सव के दौरान देखा गया कि शहर की सड़कों पर होर्डिंग उतर गए थे. हालाँकि, गणेशोत्सव के बाद, अनंत चतुर्दशी के बाद नवी मुंबई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के सभी विभागों में मनपा ने कार्रवाई की है। नगर पालिका द्वारा दो दिनों में की गई कार्रवाई में कुल 1893 छोटे और 623 बड़े बोर्ड के विरुद्ध दो हजार 516 बोर्ड पर कार्रवाई की गई है।

नगरपालिका क्षेत्र में विज्ञापन बैनर छापने वाले कुल 22 मुद्रण पेशेवरों को विभाग कार्यालय के माध्यम से लिखित निर्देश दिए गए थे। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि नवी मुंबई नगर निगम के प्रभागीय कार्यालय की अनुमति के बिना कोई भी विज्ञापन/बैनर/पोस्टर न छापें और यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें छापने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र निवारण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति विरूपण अधिनियम 1195 की। नगर पालिका ने शहर में जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित अवैध जमाखोरों के साथ ही नगर पालिका की होर्डिंग की अनुमति दिखाए बिना होर्डिंग न छापने का निर्णय लिया है।

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

संभव हैं एक साथ चुनाव

इन दिनों एक साथ चुनाव की चर्चा हो रही है। इस बहस के संदर्भ में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्वतंत्रता के उपरांत लगातार चार बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ-साथ ही हुए। यह सिलसिला 1951-52 से लेकर 1967 तक कायम रहा। यह सिलसिला टूटा इसलिए, क्योंकि कई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया या विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया। एक कारण यह भी रहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजनीतिक लाभ लेने की खातिर समय से पहले लोकसभा भंग कराकर आम चुनाव कराना पसंद किया। एक तथ्य यह भी है कि 1967 के बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सिलसिला टूटने के उपरांत भी वर्तमान में लोकसभा के साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए।

एक राष्ट्र-एक चुनाव के विषय पर इसलिए गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद रह-रहकर होने वाले विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव सरकारी कामकाज की गति को बाधित करने, नौकरशाही एवं जनता का ध्यान बंटाने और राजनीतिक दलों की प्राथमिकता बदलने का काम करते हैं। जब भी कहीं कोई चुनाव होते हैं, आचार संहिता प्रभावी हो जाती है और उसके चलते कई सरकारी कामकाज रुक जाते हैं और सरकारें इस दौरान कोई नीतिगत फैसला भी नहीं ले पातीं। बार-बार होने वाले चुनावों के कारण अच्छा-खासा समय चुनाव आचार संहिता की भेंट चढ़ जाता है। सरकारें और जनप्रतिनिधि कई बार अपने वादों को पूरा न कर पाने के लिए आचार संहिता को दोष देते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि तो अपने वादों को पूरा करने के बजाय जनता को यह आश्वासन देते रहते हैं कि यदि उनके दल को अगले विधानसभा या स्थानीय निकाय के चुनाव में जीत हासिल हुई तो वह अपने वादे को अवश्य पूरा करेंगे। एक साथ चुनाव का विचार नया नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद से इसे आगे बढ़ाया और बार-बार इसकी पैरवी की कि एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने इससे होने वाले लाभ भी गिनाए। एक साथ चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय देने के लिए ही मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति में विरोधी दलों के भी कुछ नेता शामिल किए गए।

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 99877 75650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

मुंबई : मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव स्थगित करने का निर्देश पर रोक

मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुंबई विश्वविद्यालय (एमयू) के सीनेट चुनाव स्थगित करने का निर्देश दिया गया था और विश्वविद्यालय को मतदान की पूर्व निर्धारित तिथि से दो दिन बाद 24 सितंबर को चुनाव कराने की अनुमति दी थी। मतों की गिनती 27 सितंबर को होगी।हालांकि, न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग को सीनेट चुनाव के लिए पर्याप्त मतदाताओं के पंजीकरण न करने की शिकायतों की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच समिति गठित करने की अनुमति दी।अदालत चुनाव लड़ रहे तीन उम्मीदवारों- मिलिंद साटम, शशिकांत जोरे और प्रदीप सावंत- द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सीनेट चुनाव पर अस्थायी रोक लगाने के 19 सितंबर के आदेश और एमयू रजिस्ट्रार, जो चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी भी हैं, द्वारा शुक्रवार को चुनाव को भविष्य की तिथि तक स्थगित करने के परिणामी आदेश को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकताओं ने तर्क दिया कि इन चुनावों के लिए मतदाताओं के अल्प पंजीकरण के संबंध में आईआईटी-बॉम्बे और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईसीटी) के पूर्व छात्रों के अभ्यावेदन की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित करने के पीछे राज्य सरकार का एक गुप्त उद्देश्य था। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी 19 सितंबर का आदेश चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए एक छल था। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले जब मतदाता सूची में अनियमितताओं की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, तो विश्वविद्यालय ने 9 अक्टूबर, 2023 को एक बयान दिया था कि सूची की जांच दो सप्ताह में पूरी हो जाएगी और उसके तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को 3 अगस्त, 2024 को चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में लगभग दस महीने और लग गए।

वक्फ बिल पर चर्चा: पांच राज्यों का दौरा करेंगे जेपीसी सदस्य,

26 सितंबर को मुंबई से शुरुआत...

मुंबई: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विभिन्न हितधारकों के साथ अनौपचारिक चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्य पांच राज्यों का दौरा करने वाले हैं। यह राष्ट्रव्यापी चर्चा 1 अक्तूबर तक चलेगी, जिसकी शुरूआत 26 सितंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से होगी। इस चर्चा का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में आवश्यक सुधार करना है जिसके तहत देशभर में 6,00,000 से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जा रहा है। जेपीसी सदस्य 26 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बार काउंसिल, वकील संघ और मुत्तवल्ली संघ के सदस्य भी इस चर्चा में शामिल होंगे। अगले पड़ाव में 27 सितंबर को अहमदाबाद में गुजरात सरकार, गुजरात वक्फ बोर्ड और अन्य प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधियों से बातचीत होगी। इसके बाद समिति के सदस्य 28 सितंबर को आंध्र प्रदेश, 29 सितंबर को तमिलनाडु और एक अक्तूबर को कर्नाटक में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने पहुंचेंगे। हैदराबाद में होने वाली चर्चा में आंध्र और तेलंगाना के अलावा छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

नवी मुंबई : नेरुल मंडल में अनाधिकृत झोपड़ियों पर नगर पालिका की कार्रवाई!

नवी मुंबई: नवी मुंबई नगर निगम अतिक्रमण विभाग के माध्यम से नेरुल डिवीजन में अनधिकृत झोपड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नेरुल पूर्व में नेरुल ग्रीनलैंड अपार्टमेंट, सेक्टर 9, भगवान बाबा गार्डन के पास नवी मुंबई नगर जल उद्यान केंद्र के सामने फुटपाथ पर अनधिकृत झोपड़ियाँ बनाई गई थीं। उन झुग्गियों से अवैध कारोबार चलने के कारण कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी थी. आम महिलाओं के लिए रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि रात में फुटपाथ पर 20 से 25 लोग सो रहे थे.

वहीं विभाग के नागरिकों ने भी शिकायत की थी कि उक्त निवासियों की परेशानी आम नागरिकों को उठानी पड़ती है. इसलिए अतिक्रमण विभाग के माध्यम से यहां से अनाधिकृत रूप से बनी झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाई की गई है और सामान जब्त कर लिया गया है. जब्त किए गए सामानों में पांच बैग, छह पानी के जार, कपड़ों से भरी बोतलें, पत्थर का स्टोव, आठ तिरपाल, 7 रस्सियां, दो प्लाईवुड टेबल, दो सोफे, दो बेड, तीन टेबल, छह बड़े प्लाईवुड, 3 छोटे प्लाईवुड, पांच बैनर शामिल हैं। छत्तीस बांस, एक हरा जाल, चार प्लास्टिक की कुर्सियाँ जब्त कर कोपरखैरणे हवाई पट्टी पर जमा कर दी गई हैं। यह कार्रवाई अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, बारह मजदूरों, दो पिकअप, एक डंपर, नेरुल स्थानीय पुलिस टीम के साथ सुरक्षा गार्डों के माध्यम से की गई है.

कल्याण में 11 साल के लड़के की और डोंबिवली में 19 साल की लड़की की मौत

डोंबिवली: पिछले हफ्ते, पिंपरी चिंचवड़ के वाकड कॉम्प्लेक्स में एक 20 वर्षीय विवाहित महिला ने अपने पति द्वारा मोबाइल फोन नहीं देने पर आत्महत्या कर ली. अब ऐसी ही एक घटना ठाणे जिले के डोंबिवली में घटी है. डोंबिवली के मानपाड़ा इलाके में रहने वाली 19 साल की लड़की ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मानपाड़ा पुलिस के मुताबिक, मां ने मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से मना किया तो लड़की ने यह कदम उठाया।

19 साल की एक लड़की कॉलेज में पढ़ती थी. मां को शक था कि उसकी बेटी लड़कों से चैटिंग करती है. मां ने लड़की से फोन छीन लिया. इस पर मां-बेटी के बीच विवाद भी हुआ। लड़की ने पहले मोबाइल फोन छीनकर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। कल 20 सितंबर को एक युवा लड़की ने अपनी मां द्वारा उसका मोबाइल फोन छीन लेने से नाराज होकर अपने आवास में आत्महत्या कर ली।

भायंदर पूर्व एवं पश्चिम को जोड़ने वाले भूमिगत मार्ग से राहगीर परेशान...

भायंदर : भायंदर पूर्व एवं पश्चिम को जोड़ने वाले भूमिगत मार्ग की हालत बहुत ही खराब है। भायंदर फाटक रोड स्थित यह भूमिगत मार्ग पूर्व एवं पश्चिम को जोड़ता है एवं इस मार्ग का प्रयोग काफी लोग करते हैं। इस मार्ग से गुजरते वक्त राहगीरों को कीचड़ एवं गंदे पानी की समस्या से सामना करना पड़ता है। इस भूमिगत मार्ग की दीवारों से हमेशा पानी टपकता रहता है जिसके कारण यहां पर पानी जमा हो जाता है। यहां से तुरंत पानी बाहर नही निकालने के कारण यह पानी गंदगी में बदल जाता है। मनपा द्वारा यहां पर कई बार मरम्मत का भी काम कराया गया है परन्तु इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। मनपा द्वारा इस जगह पर कई बार लादी इत्यादि काम का टेंडर निकाल कर इस समस्या के समाधान का प्रयास किया गया है परन्तु यह समस्या वैसे ही बरकरार है। बरसात के मौसम में तो यहां पर घुटनों तक पानी भर जाता है। मनपा द्वारा यहां पर जमा हुए पानी को बाहर निकालने के लिए पंप भी लगाया गया है। इस जगह पर पानी रिसाव से लगी लादी फिसलन भरी हो गयी है। यहां से गुजरने वाले राहगीर कई बार फिसल कर चोटिल भी हो चुके हैं। इस शहर की बागडोर मनपा आयुक्त के हाथों में है परन्तु जब यहां पर भाजपा की सत्ता थी उस वक्त भी इस प्रभाग के सभी नगरसेवकों ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। खास बात यह है कि यहां की विधायिका गीता जैन भी उस वक्त यहां की नगरसेविका थी परन्तु इस समस्या का वह भी समाधान नहीं निकाल सकीं।

शहर के मुख्य सड़कों पर पालिका कर रही है कचरा डंप... करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी शहर स्वच्छता से कई कदम दूर

भिवंडी : भिवंडी शहर महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत सड़कों के किनारे कचरा डंप करने से राहगीर को मुंह पर रूमाल बांधकर जाना पड़ता है। इस समस्या से मुख्य सड़क भी अछूता नहीं है। वहीं पर नालों की सफाई ना होने से गंदा पानी उफान मारकर बहने के लिए बेताब है। शहर में फैली चारों तरफ गंदगी से उठती दुर्गंध से लोग परेशानी झेल रहे हैं। पालिका प्रशासन द्वारा स्वच्छता के लिए प्रतिमाह भारी-भरकम राशि खर्च करने बावजूद शहर स्वच्छता से कई कदम दूर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि महानगर पालिका प्रशासन सफाई ठेकेदारों की मनमानी, भ्रष्ट कार्य प्रणाली को जानते हुए भी आंखें बंद किए हुए है। महानगर पालिका के सफाई ठेकेदार व सफाई कर्मी अपनी मनमर्जी से सफाई कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। शहर के मुख्य मार्ग भिवंडी कल्याण रोड़, नागांव रोड़, म्हाडा कालोनी, ईदगाह रोड़, आजमी नगर, भंडारी कंपाउंड, कामतघर, पद्मा नगर, गौरीपाडा, धामणकर नाका, अंजूर फाटा रोड़, नारपोली गैबीनगर, फेना गांव, शांतिनगर नगर आदि रहिवासी क्षेत्रों में सड़क के किनारे भारी मात्र में कचरा पड़ा रहता है। लोग सड़क किनारे कचरा डालते हैं, जिससे दुर्गंध फैलती रहती है। नागरिकों की बार-बार शिकायतों के बाद भी सफाई कर्मी और कचरा उठाने वाले ठेकेदार कोई ध्यान नहीं देते हैं। आश्चर्यजनक तथ्य है कि महानगरपालिका आरोग्य विभाग द्वारा नागरिकों के लिए कचरा डालने के लिए कई सार्वजनिक स्थान चिन्हित किए गए हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से नितांत गलत है। नागांव रोड़ स्थित ग्लैक्सी सिनेमा हाल के सामने, मंडई स्थित जैन मंदिर के सामने, बंजार पट्टी नाका स्थित ताज मंजिल की दीवाल के पास, अप्सरा टॉकीज के सामने स्थित ब्रिज के नीचे मस्जिद के सामने जैसी मुख्य जगहों पर नागरिकों को कचरा डालने की छूट दी गई है। शहर में गंदगी का आलम यह है कि मंदिर, मस्जिद, घर, स्कूल से गुजरने वाले तमाम लोग कचरे की दुर्गंध से भारी परेशानी झेलते हैं।

भ्रष्टाचार के मामले में बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज...

मुंबई : सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया (सीबीआई) ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के तीन पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने भारत में भ्रष्टाचार विरोधी निकाय लोकपाल के निर्देश पर अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो केंद्र सरकार के साथ काम करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। एजेंसी ने पिछले साल की एक शिकायत के संबंध में लोकपाल, दिल्ली के 29 अगस्त के आदेश के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें भ्रष्टाचार के अपराध में शामिल बीओआई के तीन पूर्व अधिकारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

एजेंसी ने बीओआई के कोल्हापुर जोन के पूर्व जोनल मैनेजर, कोल्हापुर जोन के डिप्टी जोनल मैनेजर और सतारा शाखा के मुख्य प्रबंधक के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी का मामला हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (आपराधिक साजिश) के साथ 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक द्वारा आधिकारिक पद का दुरुपयोग) के तहत दर्ज किया गया था। अपने आदेश में, भारत के लोकपाल ने सीबीआई को नियम 4 के प्रावधानों और लोकपाल (शिकायत) नियम, 2020 के अन्य सक्षम प्रावधानों के अनुसार शिकायतकर्ता और प्रतिवादी लोक सेवकों की पहचान को कानून में आवश्यक सीमा तक गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया।

मोबाइल फोन देने से इनकार... 19 वर्षीय महिला ने कर ली आत्महत्या!

ठाणे: एक दुखद घटना में, ठाणे जिले के डोंबिवली में एक 19 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके माता-पिता ने शुक्रवार को उसे मोबाइल फोन देने से इनकार कर दिया था। पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार रात देसलेपाड़ा में हुई, मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा। अधिकारी ने कहा, ''उसके माता-पिता ने हमें बताया है कि वह परेशान थी क्योंकि उन्होंने उसे मोबाइल फोन नहीं दिया था। उसने अपने घर के एक कमरे में फांसी लगा ली। एक आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया था और आगे की जांच चल रही है।'' अधिकारियों ने कहा कि ठाणे रेलवे स्टेशन पर एक 25 वर्षीय मानखुर्द निवासी ने एक असफल प्रेम संबंध के बाद तेज गति से चल रही मेल एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। ठाणे रेलवे पुलिस की वरिष्ठ निरीक्षक अर्चना दुसाने ने बताया, ''वह पटरियों पर कूद गया और उसके पहियों के नीचे कुचल गया।'' पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने उल्लेख किया था कि वह एक असफल संबंध के बाद यह कठोर कदम उठा रहा है। रेलवे पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है।

35 वर्षीय अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी प्रतिबंधित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करता पाया गया, गिरफ्तार

मीरा-भायंदर: मीरा भयंदर-वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस से जुड़ी अपराध शाखा इकाई (जोन 1) ने एक 35 वर्षीय अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी को गिरफ्तार किया है, जो अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए प्रतिबंधित (इन माई ओपिनियन) मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करता पाया गया। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एपीआई-प्रशांत गंगुर्दे के नेतृत्व में एक टीम ने जाल बिछाया और गुरुवार को दोपहर करीब 12:30 बजे मीरा रोड के जांगिड एन्क्लेव इलाके में जावेद रोहमन शेख (35) नामक संदिग्ध को पकड़ा। शेख द्वारा देश में रहने के लिए वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने के बाद, उसे हिरासत में ले लिया गया।

बांग्लादेश के खुलना जिले के माधापुर गांव का मूल निवासी, शेख जो जाहिर तौर पर अवैध तरीके से देश में घुस आया था, एक पेंटर के रूप में काम कर रहा था और एक साल से अधिक समय से काशीमीरा के पेनकर पाड़ा इलाके में एक मकान में रह रहा था। तलाशी लेने पर टीम को उसके पास से एक मोबाइल फोन मिला। मोबाइल की जांच की गई और पुलिस टीम ने पाया कि शेख प्रतिबंधित आईएमपी ऐप का उपयोग करके बांग्लादेश में अपने परिवार से बात कर रहा था। आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई संचार पद्धति ने ऐसे ऐप से उत्पन्न सुरक्षा खतरों के बारे में चिंता जताई है क्योंकि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से जुड़वां शहर में रह रहे हैं।

मुंबई कस्टम की बड़ी कार्रवाई... सोना और हीरे की तस्करी में तीन गिरफ्तार

3.12 करोड़ का माल जब्त !

मुंबई : मुंबई में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. कस्टम ने शुक्रवार 20-21 सितंबर की रात को दो अलग-अलग मामलों में कुल 2.286 किलोग्राम सोना और हीरे जब्त किए. इन हीरे और सोने की अनुमानित कीमत 1.58 करोड़ रुपये (सोने की कीमत) और 1.54 करोड़ रुपये (हीरों की कीमत) है. यह माल यात्रियों के शरीर, बनियान में बने गुप्त स्थान और पैंट की बेल्ट के पास बनाए गए विशेष स्थानों में छुपाकर रखा गया था. इस मामले में तीन यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है.

एयरपोर्ट पर कस्टम ने पहले मामले में दुबई से मुंबई पहुंचे एक यात्री को रोककर उसके पास से तस्करी का माल बरामद किया गया, जिसमें 24 कैरेट सोने की 12 छड़ें (कुल वजन 1400 ग्राम) शामिल थीं, जिनकी अनुमानित कीमत 97,00,236 रुपये है. यह सोना यात्री द्वारा पहनी गई पैंट की बेल्ट के पास छुपाया गया था. पूछताछ में यात्री ने बताया कि यह काम उसी फ्लाइट में यात्रा कर रहे दूसरे यात्री के कहने पर किया गया था. सह-यात्री ने भी अपने बयान में इसे स्वीकार किया. दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया. दूसरे मामले में हांगकांग से मुंबई आए एक यात्री को एयरपोर्ट पर रोका गया और उसके पास से तस्करी का सामान बरामद किया गया, जिसमें 24 कैरेट सोने के दो कड़े (कुल वजन 886 ग्राम, कीमत 61,38,864 रुपये), एक रोलेक्स घड़ी (मूल्य 13,70,520 रुपये) और प्राकृतिक हीरे (मूल्य 1,54,18,575 रुपये) शामिल थे. सोने के कड़े और रोलेक्स घड़ी यात्री ने पहने हुए थे, जबकि हीरे को यात्री द्वारा पहनी गई बनियान के अंदर विशेष स्थान में छुपाकर रखा गया था. इस मामले में भी एक यात्री को गिरफ्तार किया गया.

नागपुर में क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन...

93 किलो गांजा जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार

नागपुरः क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने जरीपटका थाना क्षेत्र में जाल बिछाकर गांजा का आदान-प्रदान कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 93 किलो माल जब्त किया। यह माल ओडिशा से संबलपुर से आया था। कार्रवाई की जानकारी देते हुए सीपी रविंद्रकुमार सिंगल ने बताया कि नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए ओडिशा और आंध्र प्रदेश की पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा। शहर में नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों पर तो कार्रवाई हो ही रही है, अन्य राज्यों से यहां माल बेचने वालों पर भी शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है।

क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल के कांस्टेबल रोहित काले को जानकारी मिली थी कि जरीपटका के आर्यनगर में गांजा विक्रेता माल का लेन-देन कर रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस दस्ते ने परिसर में जाल बिछाया। एक कार से दूसरी कार में गांजा के बोरे रख रहे 4 आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कांजी हाउस चौक, रमाईनगर निवासी उमरे खान अब्दुल रशीद खान (30), उसकी पत्नी दरक्षा अंजुम उर्फ रानू (29), बडनेरा, अमरावती निवासी शेख रिजवान शेख यूनुस (24) और आजरी-माजरी निवासी अब्दुल आरिफ अब्दुल खालिक (32) का समावेश है। उनसे पूछताछ में पता चला कि माल शिवनगर निवासी मोहम्मद जुनैद इब्राहिम राजवानी (31) ने दिया था। पुलिस ने जुनैद को भी हिरासत में ले लिया है। जुनैद ने अमरावती निवासी काशिफ अहमद का नाम बताया लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने 18.62 लाख रुपए का गांजा और 2 कार सहित 41 लाख रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया है। उमरे खान पर आर्म्स एक्ट और मारपीट के मामले दर्ज हैं। वर्ष 2018 में पुलिस ने उसे तड़ीपार भी किया था। उसकी पत्न ी के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरिफ के खिलाफ पहले भी नशीले पदार्थ बेचने का मामला दर्ज हो चुका है। जुनैद के खिलाफ अपहरण और रेप का मामला दर्ज है। सीपी ने बताया कि अन्य गंभीर मामलों की तरह ही एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए जाने वाले मामलों में भी जल्द जांच और चार्जशीट दायर की जाएगी। इन मामलों में जल्द सुनवाई और आरोपियों को सजा होने से कानून का भय निर्माण होगा।इसके लिए विधि विभाग से भी समन्वय किया जाएगा। डीसीपी राहुल माकणीकर और एसीपी अभिजीत पाटिल के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर गजानन गुल्हाने, एपीआई मनोज घुरडे, हेड कांस्टेबल विजय यादव, मनोज नेवारे, शैलेष डोबोले, नितिन सालुंके, पवन गजभिए, विवेक अढ़ाऊ, अनूप यादव, गणेश जोगेकर, अरविंद गेड़ेकर, रोहित काले, सहदेव चिखले, शेषराव रेवतकर और सुभाष गजभिए ने कार्रवाई को अंजाम दिया। न्यायालय ने चारों आरोपियों को पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए।

कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित 20 वर्ष से फरार अभियुक्त गिरफ्तार

मुंबईः क्राइम ब्रांच ने चोरी के मामले में कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए आरोपी को करीब 20 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. गिरफ्तार आरोपी सिलसिलेवार अपराधी है और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं. आरोपी का नाम अयूब शेख है और वह गोवंडी के शिवाजी नगर इलाके का रहने वाला था. 2004 में मुलुंड पुलिस ने आरोपी को चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन बाद में अदालत में पेश नहीं होने पर उसे फरार घोषित कर दिया गया. तभी से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी।

पिछले कई सालों से आरोपी अपना नाम बदलकर ठाणे और नवी मुंबई इलाके में रहता था। इसी बीच पुलिस को उसका मोबाइल नंबर मिल गया. क्राइम ब्रांच सेल 7 के अधिकारियों ने उसकी तलाश की और कलवा इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया. इस आरोपी के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में चोरी के मामले दर्ज हैं और क्राइम ब्रांच के अधिकारी आरोपी से आगे की जांच कर रहे हैं।

महिला समेत दो लोग नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार

मुंबई : नवी मुंबई की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने एक महिला समेत दो लोगों को नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, पनवेल के रहने वाले दोनों लोगों ने अपराध को अंजाम देने के लिए महापे के एक लॉज में कमरा बुक किया था।एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एफआईयू ने शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे होटल श्री कृष्णा पैलेस में छापा मारा और विवेक कुमार प्रेम बाबू पीपल, 35, और अश्विनी विश्वनाथ सरवोडे, 36 को गिरफ्तार कर लिया। और 81,000 रुपये के नकली नोट बरामद किए। जांच में शामिल एक अधिकारी ने कहा, ''करीब चार महीने से दोनों लॉज में रह रहे थे, जिससे पड़ोसियों को शक हुआ।''प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पीपल पहले कार डीलर के तौर पर काम करता था, जबकि सरवोडे एक निजी बैंक में बिक्री का काम देखता था।

जांच के दौरान, उन्होंने खुद को भाई-बहन बताया, लेकिन अधिकारी अभी भी जानकारी की पुष्टि कर रहे हैं। दोनों के पास नकली नोटों के साथ-साथ नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी मिले। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ''एक साल से ज्यादा समय से दोनों बेरोजगार हैं, फिर भी वे एक आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें लॉज में रहना, होटलों से खाना मंगवाना और चार पहिया वाहन में यात्रा करना शामिल है। कमरे में नकली नोटों की गड्डियाँ थीं और नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बॉन्ड पेपर के ढेर भी थे।

घोड़बंदर रोड को लेकर ठाणे मनपा का बड़ा फैसला...

'टायर किलर्स' लगाए जाएंगे

ठाणेः नगर निगम आयुक्त सौरभ राव ने ठाणे में घोड़बंदर रोड पर विपरीत दिशा में वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए प्रायोगिक आधार पर 'टायर किलर' स्थापित करने का निर्णय लिया। नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिन स्थानों पर ट्रैफिक विपरीत दिशा में जा रहा है, उसका निर्धारण ट्रैफिक पुलिस करेगी और ऐसे स्थानों पर 'टायर किलर' लगाया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस 'टायर किलर' को स्थापित करने से पहले संबंधित क्षेत्रों में विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

घोड़बंदर रोड के साथ-साथ आंतरिक सड़कों पर यातायात की भीड़ को दूर करने के लिए 6 सितंबर को हुई बैठक में व्यापक उपाय किए गए। लेकिन, उसके बाद भी ट्रैफिक जाम जारी थी. इसी पृष्ठभूमि में एक बार फिर घोड़बंदर रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान और समस्याओं पर विचार करने के लिए नगर निगम के सिविल ट्रेनिंग सेंटर में एक बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, मनपा आयुक्त सौरभ राव, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे आदि मौजूद थे.

जाम से बचने के लिए विपरीत दिशा में जाने वाले यातायात को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम की ओर से 'टायर किलर' प्रयोग करने का फैसला लिया गया है. यातायात पुलिस द्वारा निर्धारित स्थानों पर विस्तृत जानकारी के साथ 'टायर किलर्स' लगाए जाएंगे। सड़क पर 'टायर किलर' की मौजूदगी की जानकारी देने के लिए 100 से 200 मीटर पहले ही बोर्ड लगा दिए जाएंगे. इस क्षेत्र में रात्रि के समय पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, ये 'टायर किलर' यह निर्धारित करने के बाद लगाए जाएंगे कि हिस्सा सीसीटीवी कैमरे के क्षेत्र में आ रहा है। नगर निगम आयुक्त राव ने बताया कि इनसे विपरीत दिशा में आने वाले वाहनों को रोका जाएगा।

494 करोड़ की धोखाधड़ी के सिलसिले में सूयार्जी जाधव को जमानत...

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूयार्जी जाधव को जमानत दे दी, जिन्हें पुणे के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक में कथित ₹494 करोड़ की धोखाधड़ी के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।न्यायमूर्ति माधव जामदार की एकल पीठ ने 72 वर्षीय सूयार्जी जाधव को जमानत दे दी, क्योंकि उन्हें लंबे समय से जेल में रखा गया है और जल्द ही मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है। ईडी ने उन्हें 24 फरवरी, 2020 को गिरफ्तार किया था, जिसमें दावा किया गया था कि पूरे धोखाधड़ी में उनकी देनदारी ₹79 करोड़ तक है। जाधव ने विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, हालांकि उन्हें पहले ही इस अपराध में जमानत मिल चुकी है। उनके वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि जाधव ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा - 7 साल की कैद - की आधी से अधिक अवधि पहले ही काट ली है और इसलिए वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए के तहत जमानत के हकदार हैं।न्यायमूर्ति जामदार ने दलील स्वीकार करते हुए कहा, ''पीएमएलए अधिनियम की धारा 45 जैसे प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के बावजूद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विचाराधीन आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने दिया जा सकता।''

मुंबई :बुलेट ट्रेन को जापान से आने में कम से कम दो साल लगेंगे

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने वाली पहली शिंकानसेन ई5 बुलेट ट्रेन को जापान से आने में कम से कम दो साल लगेंगे। भारतीय रेलवे फिलहाल अपने जापानी समकक्षों के साथ बातचीत कर रही है, जिसके बाद जापानी रेलवे भारत को ट्रेनों के निर्माण और आपूर्ति के लिए शेड्यूल को अंतिम रूप देगी। 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का इस्तेमाल 250 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति वाली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों के परीक्षण के लिए भी किया जाएगा। शनिवार को वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने कहा कि वे साल के अंत तक शिंकानसेन ई5 ट्रेनों के लिए ऑर्डर दे देंगे। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (एनएचएसआरसीएल) के एक अधिकारी ने कहा, ''फिलहाल बातचीत चल रही है।'' इन ट्रेनों की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है, हालांकि ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलेंगी।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com